

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

26.09.25

सेवामें 12

"खाता दुरुस्ती आदेश-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपस्थित अधिकारी महोदय,

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सुखपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 21, 22, 104, 109 में सुखपुरा के सुखदेव पि. हजारी के नाम पर सुखदेव पि. हजारी का नाम दर्ज है। जो संशोधित किया जाना उचित है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

सुखपुरा

दिनांक-

01/07/2025

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम सुखपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 21, 22, 104, 109 में प्रार्थी का नाम सुखपुरा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम सुखदेव पि. हजारी है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 सुखपुरा
1-7-25

पटवारी.....

सुखपुरा
सुखदेव पि. हजारी

रिपोर्ट तहसीलदार.....

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी सुखपुरा व भू0अ0नि0 सुखपुरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सुखपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 21, 22, 104, 109 में प्रार्थी का नाम सुखपुरा के यजाय सुखदेव पि. हजारी किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

सुखपुरा सुखदेव पि. हजारी
सुखपुरा सुखदेव पि. हजारी

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुखपुरा ग्राम सुखपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 खाता संख्या 21, 22, 104 व 109 में दर्ज प्रार्थी का नाम सुखपुरा के यजाय सुखदेव पि. हजारी की रक्षणा हेतु सुखदेव पि. हजारी संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

सुखपुरा
मांडल जिला भीलवाड़ा

2025/539